सं. ए-12025/06/2014-प्रशासन-1

भारत सरकार

योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल, 2014

रिक्ति परिपत्र

विषय : योजना आयोग मे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर उप सलाहकार पीबी : 3: रू 15600-39100 के ग्रेड पे रू 7600/- पर भर्ती ।

योजना आयोग में उप सलाहकार के निम्नांकित पदों पर वेतन बैण्ड 3: रू 15600-39100 के ग्रेड पे रू 7600/- (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' , राजपत्रित अननुसचिवीय) में सयुक्त पद्धिति से जैसे पदोन्नोति/ प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) के अधार पर भर्ती प्रस्तावित है -

क्रम सं	पद का नाम	रिक्त पदो की संख्या
1	उप सलाहकार (खनिज)	01 (एक)
2	उप सलाहकार (उपभोक्ता उद्योग)	01 (एक)
3	उप सलाहकार (शिक्षा)	01 (एक)
4	उप सलाहकार (बहुस्तरीय योजना)	01 (एक)
5	उप सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन)	01 (एक)
6	उप सलाहकार (ऐच्छिक प्रक्रिया सेल)	01 (एक)
7	उप सलाहकार (पशुपालन)	01 (एक)
8	उप सलाहकार (रसायन)	01 (एक)
9	उप सलाहकार (वैज्ञानिक अनुसंधान)	01 (एक)
10	उप सलाहकार (जल आपूर्ति)	01 (एक)
11	उप सलाहकार (मानीटरिंग पावर)	01 (एक)
12	उप सलाहकार (विद्युत)	01 (एक)
13	उप सलाहकार (उर्जा सर्वेक्षण)	01 (एक)
14	उप सलाहकार (मानीटरिंग कृषि)	01 (एक)
15	उप सलाहकार (सामाजिक विकास - कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन)	01 (एक)
16	उप सलाहकार (सिंचाई)	01 (एक)
17	उप सलाहकार (मानीटरिंग कोयला/ पेट्रोलियम)	01 (एक)
18	उप सलाहकार (सामाजिक योजना)	01 (एक)

2. पद हेतु चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। यदि पद हेतु किसी विभागीय **ज्येष्ठ अनुसन्धान अधिकारी** का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है तो उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अन्य उम्मीदवारों के मामले में केवल प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित अवधि के लिए विचार किया जाएगा जो पांच वर्षों से अधिक नहीं होगा।

3. क्रम संख्या 1 से 10 तक के उपरोक्त पदों की रिक्ति पहले भी दिनांक 18-24 मई, 2013 के रोजगार समाचार में विज्ञापित हुई थी । ये रिकितयां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्शानुसार फिर से जारी की जा रही है । इन पदों के लिए जिन आवेदकों ने पूर्व में आवेदन किया था, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता है। पद के लिए चयन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाएगी ।

4. <u>पद से संबद्ध कार्य</u>

1. उपसलाहकार (खनिज)

(i) खनिज स्त्रोतों के इत्यादि शामिल ,लिग्नैट ,कोयला ,अलौह औद्योगिक खनिज ,जिनमें लौह , तथा प्रयोग के संबंध में योजनाओं ,के विदोहन ,हैं/परियोजनाओं के विकास/योजना/निष्पादन के संबंधित अनुसंधान अध्ययन करना।

(ii) खनिज एवं खनिजों पर आधारित उद्योगों में यथा प्रयुक्त विदोहन ,प्रौद्योगिकी ,संरक्षण , व्यापार एवं अवसंरचना के विकास में स्वयं अध्ययन करना तथा अधीनस्थों के द्वारा किए गए अध्ययनों का पर्यवेक्षण करना।

(iii) विस्तृत परियोजना रिपोर्टो के साध्यता अध्ययनों का तकनीकीआर्थिक मूल्यांकन।-

2. उपसलाहकार (उपभोक्ता उद्योग)

निम्न कार्यो में संयुक्त सलाहकार (उपभोक्ता उद्योग(/सलाहकार -की सहायता करनाः (उद्योग)

(1) उपभोक्ता उद्योग के विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित योजनाएं बनाना।

(2) उपभोक्ता उद्योग में विकास योजनाएं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।

(3) उपभोक्ता उद्योग में उभरने वाली विषेशतकनीकी ,/आर्थिक और अन्य कठिनाइयों के पहलुओं का परीक्षण करना।

(4) उपभोक्ता उद्योग के लिए औद्योगिक लाईसेन्सिंगविदेशी निवेश और सहयोग इत्यादि , नीतियाँ बनाना।

(5) उपभोक्ता उद्योग के क्षेत्र में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा साध्यता अध्ययनों पर तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन निवेदन तैयार करना।

(6) उपभोक्ता उद्योग से संबंधित मामलों में योजनाएं बनाने में भारत सरकार के मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों में समन्वय करना।

(7) उपभोक्ता उद्योग के क्षेत्र में मांगवितरण से ,मूल्य निर्धारण ,मूल्यांकन ,निवेश ,उत्पादन , संबंधित अध्ययन करना तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन का मानीटरन करना और सौंपे गये अन्य कार्यो को करना।

3. उपसलाहकार (शिक्षा)

(i) शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन प्रारंभ करना और नीति निर्धारण करना।

(ii) देश में शिक्षा के विकास का अंकन करना और उस क्षेत्र में बाधाओं का अन्वेषण करना।

(iii) शिक्षा क्षेत्र में स्कीमों/योजनाओं का परीक्षण करना।

4. उपसलाहकार (बहुस्तरीय योजना)

(1) क्षेत्र विकास विशेष रुप से पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमपश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम , और सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नीतियों को तैयार करना।

(2) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमपश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम और सीमावर्ती क्षेत्र विकास , कार्यक्रम के परिचालन का समन्वय और समीक्षा करना।

(3) विशेष क्षेत्र विकास/पिछड़ा क्षेत्र विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं/स्कीमों का परीक्षण करना।

(4) उड़ीसा के केके जिलों के लिए कार्य योजना का समन्वय और समीक्षा करना।0बी0

(5) नीति/कार्यक्रमों के प्रभाव अध्ययनों का आयोजन और उनके निष्कर्षों को प्रतिपुष्टि करना।

(6) क्षेत्र विकास/पिछड़े क्षेत्र और बहु स्तरीय योजना के विषयों से संबंधित संसदीय कार्य करना।

5. उपसलाहकार (परियोजना मूल्यांकन)

यातायातपतन और जहाज से संबंधित निवेश प्रस्तावों की जांच करना। ,संचार ,पर्यटन ,

या

निजी सार्वजनिक भागीदारी प्रस्तावों की जांज करना।

या

उद्योग और खनिज से संबंधित निवेश प्रस्तावों की जांच करना।

या

इंजीनियरिंग/पॉवर/उर्जा से संबंधित निवेश प्रस्तावों की जांच करना।

6. उपसलाहकर (ऐच्छिक प्रक्रिया सेल)

(i) ऐच्छिक क्षेत्रक के लिए राष्ट्रीय नीति के परिचालन के लिए कार्य करना और विशेषज्ञ समूहों को बनाने के लिए आगे की कार्यवाही करना।

(ii) गैरसरकारी संगठनों के डाटाबेस का प्रबधन -सरकारी संगठन भागीदारी प्रणाली सहित गैर-करना तथा अपडेट करना।

(iii) ऐच्छिक क्षेत्रक से संबंधित सभी मामलों में संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों से समन्वय करना।

(iv) ऐच्छिक क्षेत्रक से संबंधित देश और विदेश में हो रहे नवीनतम प्रचलनों/विकास का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना।

(v) ऐच्छिक संगठनों से संबंधित विवादयकों/समस्याओं के मामलों के ऐच्छिक प्रक्रिया सेल के सलाहकार को सहायता करना।

7. उप सलाहकार (पशु पालन)

(i) पशु पालन र्ति तथा अन्य संबंधित कार्यकलापों केडेरी उद्योग और लघु दूध आपू ,विकास के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों तथा योजनाओं की जांच करना।

(ii) कृषि प्रभाग में उसके दायित्यों के घेरे में आनेवाले विषयों के संबंध में कृषि प्रभाग में होने वाले अध्ययनों को आयोजित करना तथा भाग लेना।

8. उपसलाहकार(रसायन)

निम्नलिखित कार्यो में योजना आयोग की सहायता करना-

(i) रसायन उद्योग के विकास के संबंधित विविध पहलुओं में योजना बनाना,

(ii) कोयला रसायन उद्योग में उठने वाली समस्याओं का विशिष्ठ तकनीकी/आर्थिक और अन्य पहलुओं का परीक्षण बनाना,

(iii)मानिटरिंग साध्यता अध्ययन/वस्त्रुत परियोजना प्रतिवेदनों का मूल्यांकन करना,

(iv)उद्योग लाईसेंसिंग,विदेशी निवेश तथा सहयोग इत्यादि में नीतियाँ बनाना ,

(v) रसायना उद्योग योजना बनाने से संबंधित मामलों में भारत सरकार के मंत्रालय और लोक उपक्रमों से समन्वय करना।

9. उपसलाहकार (ज्ञानिक अनुसंधानवै)

उपसलाहकार के (वैज्ञानिक अनुसंधान) योजना आयोग के सलाहकार (वैज्ञानिक अनुसंधान) सामान्य मार्गदर्शन में कार्य करता है और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र से संबंधित रिसर्च/डिजाइन/योजनाओं और कार्यक्रमों का निष्पादन के अध्ययनों का मूल्यांकनपण तथा निरु , संवीक्षा करना तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र से संबंधित बहुआयामी क्षेत्रों में/नये क्षेत्रों से आंकड़ों का संकलन करना।

10. उपसलाहकार (जलआपूर्ति)

(1) जल प्रदाय और स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाएं बनाना।

(2) जल प्रदाय और स्वच्छता के क्षेत्र में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा साध्यता अध्ययनों पर तकनीकीआर्थिक मूल्यांकन निवेदन तैयार करना।-

(3) जल प्रदाय योजनाएं और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संबंधी योंजनाओं/प्रोजेक्टों का निरीक्षण करना।

(4) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी मार्गदर्शन करना।

11.उप सलाहकार (मानीटरिंग पावर)

)i(दीर्घकालिक उत्पादन योजना के लिए भार (लोड), मांग, ऊर्जा संतुलन संबंधी अध्ययन करना;

)ii(विद्युत विकास कार्यक्रमों संबंधी परियोजना रिपोर्टोंकन कन नोट्स का मूल्यांसीईए मूल्यां/ करना;

)iii(सीपीएमयन की ग करते हुए विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वपीईआरटी चार्टों का उपयो/ तम आधार पर अपेक्षित निवेश का पूर्ण नोट तैयार करना और इष्टप्रगति पर महत्व निर्धारण करना;

)iv(बाधाओं और अड़चनों की पहचान करने के लिए विद्युत परियोजनाओं का अनुवीक्षण, समीक्षा और फील्ड दौरे करना और योजना आयोग सीईए आदि के वरिष्ठ/विद्युत विभाग/ अधिकारियों को इसकी सूचना देना;

)v(विद्युत क्षेत्रकों में उपलब्ध सूचना को कम्प्यूटरीकृत करनात करना।वस्थिडेटाबेस व्य/

12.उप सलाहकार (विद्युत)

)i(केन्द्र और राज्यों के विद्युत क्षेत्रक के लिए पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करना।

)ii(विद्युत विकास हेतु योजना बनाना - मांग का पूर्वानुमान लगाना और उत्पादन क्षमता की योजना बनाना।

)iii(ताप, जल और नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं और सम्बद्ध पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की जांच करना, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना।

13.उप सलाहकार (ऊर्जा सर्वेक्षण)

ऊर्जा क्षेत्रक में नवीनतम प्रवृत्तियोंसाथ ऊर्जा के क्षेत्र में -घटनाओं के साथ/ वहारिकसर्वेक्षण आयोजना के व्या/अभिकल्प/अनुसंधानक्षेत्रों के संदर्भ में नीति निर्माण में योजना आयोग में सलाहकार सलाहकारोंसंयुक्त/, विद्युत एवं ऊर्जा प्रभाग की सहायता करना। वे संगत क्षेत्रों में अनुसंधान और समस्याओं के अन्वेषण में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और इससे निचले स्तर के अधिकारियों को मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं।

14 उप सलाहकार (मानीटरिंग - कृषि)

)i(कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों के लिए परियोजनाम तैयार करना और उसका स्की/कार्यक्रम/ अनुवीक्षण करना।

)ii(इनपुट, आउटपुट, वृद्धि, आपूर्ति, आदि जैसी मदों को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से कृषि संबंधी आयोजना, प्रौद्योगिकी और उनके कार्यान्वयन की विभिन्न समस्याओं पर अध्ययन प्रारंभ करना और संचालित करना।

)iii(केन्द्र और राज्य क्षेत्रकों में वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, उन्हें तैयार करना और उनकी जांच करना।

)iv(कृषि के क्षेत्र में मौलिक संसाधन डेटा, तथ्यपरक डेटा के संकलन और मूल्यांकन रिपोर्टों, महत्वपूर्ण नोट तथा अन्य संबंधित विषयों को तैयार करने में प्रभागाध्यक्ष की सहायता करना।

15.<u>उप सलाहकार (सामाजिक विकास)- कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन</u>

)i(पीईओ के सामाजिक विकास प्रभाग में मार्गदर्शन प्रदान करना और कार्य का समन्वय करना।

)ii(केन्द्र के संबंधित मंत्रालयों, राज्य मूल्यांकन इकाइयों तथा अन्य अनुसंधान संगठनों के साथ सम्पर्क रखना; और

)iii(सामाजिक कार्यक्रमों और सम्बद्ध कार्यकलापों के मूल्यांकन से संबंधित मामलों में पीईओ के प्रमुख की सहायता करना।

16.<u>उप सलाहकार (सिंचाई)</u>

)i(सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी और आर्थिक मंजूरी;

)ii(राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ विचारविमर्श में भाग लेना और योजनाओं का - तैयार करनार्यवृत्तनिर्माण करना और कार्यसूची और उनका का;

)iii(जल संसाधनों के सभी पहलुओं के संबंध में जल संसाधन प्रभाग सलाहकार एवं संयुक्त) अधिकारियों की सहायता कके वरिष्ठ (सलाहकाररना।

17. <u>उप सलाहकार (मानीटरिंग- कोयला / पेट्रोलियम)</u>

)i(कोयला के संबंध में मों की योजना लक्ष्योंमों और स्कीपेट्रोलियम क्षेत्रकों में योजना कार्यक्र/ प्रगति का आधारभूत अनुवीक्षण करना।

)ii(कोयला पेट्रोलियम क्षेत्रकों मे डाटा बैंक विकसित करने और डाटा/भंडारण और उसकी पुन में सहायता करना।प्राप्तिः

)iii(कोयलाकारण उभरे नीति संबंधी मुद्दों और डाटा बैंक के/पेट्रोलियम क्षेत्रकों में अनुवीक्षण/ कन नोट्सषण और मूल्यांप्रगति से संबंधित विश्ले, पेपर इत्यादि तैयार करना।

)iv(योजना आयोग द्वारा सौंपे गए ऐसे आदेश कर्त्तव्यों का पालन करना।

)ii(इनपुट, आउटपुट, वृद्धि, आपूर्ति, आदि जैसी मदों को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से कृषि संबंधी आयोजना, प्रौद्योगिकी और उनके कार्यान्वयन की विभिन्न समस्याओं पर अध्ययन प्रारंभ करना और संचालित करना।

)iii(केन्द्र और राज्य क्षेत्रकों में वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, उन्हें तैयार करना और उनकी जांच करना।

)iv(कृषि के क्षेत्र में मौलिक संसाधन डेटा, तथ्यपरक डेटा के संकलन और मूल्यांकन रिपोर्टों, महत्वपूर्ण नोट तथा अन्य संबंधित विषयों को तैयार करने में प्रभागाध्यक्ष की सहायता करना।

15.<u>उप सलाहकार (सामाजिक विकास)- कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन</u>

)i(पीईओ के सामाजिक विकास प्रभाग में मार्गदर्शन प्रदान करना और कार्य का समन्वय करना।

)ii(केन्द्र के संबंधित मंत्रालयों, राज्य मूल्यांकन इकाइयों तथा अन्य अनुसंधान संगठनों के साथ सम्पर्क रखना; और

)iii(सामाजिक कार्यक्रमों और सम्बद्ध कार्यकलापों के मूल्यांकन से संबंधित मामलों में पीईओ के प्रमुख की सहायता करना।

16.<u>उप सलाहकार (सिंचाई)</u>

)i(सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी और आर्थिक मंजूरी;

)ii(राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ विचारविमर्श में भाग लेना और योजनाओं का - तैयार करनार्यवृत्तनिर्माण करना और कार्यसूची और उनका का;

)iii(जल संसाधनों के सभी पहलुओं के संबंध में जल संसाधन प्रभाग सलाहकार एवं संयुक्त) अधिकारियों की सहायता कके वरिष्ठ (सलाहकाररना।

17. <u>उप सलाहकार (मानीटरिंग- कोयला / पेट्रोलियम)</u>

)i(कोयला के संबंध में मों की योजना लक्ष्योंमों और स्कीपेट्रोलियम क्षेत्रकों में योजना कार्यक्र/ प्रगति का आधारभूत अनुवीक्षण करना।

)ii(कोयला पेट्रोलियम क्षेत्रकों में डाटा बैंक विकसित करने और डाटा/भंडारण और उसकी पुन में सहायता करना।प्राप्ति:

)iii(कोयलाकारण उभरे नीति संबंधी मुद्दों और डाटा बैंक के/पेट्रोलियम क्षेत्रकों में अनुवीक्षण/ कन नोट्सषण और मूल्यांप्रगति से संबंधित विश्ले, पेपर इत्यादि तैयार करना।

)iv(योजना आयोग द्वारा सौंपे गए ऐसे आदेश कर्त्तव्यों का पालन करना।

18. उप सलाहकार (सामाजिक योजना)

)i(पिछड़े वर्गों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में विकास परियोजनाओंयनों को दन से संबंधित नीतियों के निर्माण संबंधी अध्यकार्यक्रमों के निष्पा/ शुरू करना।

)ii(सामाजिक कल्याण की स्थिति की जांच करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययनों को शुरू करना और उनका मार्गदर्शन करना; और

)iii(भारत और विदेश में संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम सामाजिक प्रवृत्तियोंविकास से संबंधित / कन करसमय पर मूल्यां-मों का सर्वेक्षण और समयकार्यक्रमों और स्कीना।

5. अर्हताएं

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) हेतु:-

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत संगठनों के ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ,या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में रु 6600 के ग्रेड वेतन के साथ- 15600- 39100/- रु के वेतन बैंड- 3 या समतुल्य के पदो पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पद पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास, क्रम संख्या 8 में उल्लिखित, विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो ।

प्रोन्नति हेतु

योजना आयोग के ऐसे विभागीय ज्येष्ठ अनुसन्धान अधिकारी जिन्होंने 6600 रु के ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100 रु के वेतन बैंड -3 के पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्के पास, क्रम संख्या 8 में उल्लिखित, विहित शैक्षिक अर्हताएं हो ।

6. आयु सीमा :

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा, क्रम संख्या 7 में उल्लिखित, यथा निर्दिष्ट पात्रता निर्धारण की निर्णायक तारिख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

7. पात्रता निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि :

अर्हता निर्णय करने के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी ।

8 अर्हताएं और अनुभव :

1. उप सलाहकार (खनिज)

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री या खनन इंजीनियरी में डिग्री या इंजीनियरिंग संस्थान के भाग 'ए' और 'बी' में खनन इंजीनियरी के एसोसिएट सदस्य (एएमआईई)।

(ii) खनिज संसाधनों के, जिनके अंतर्गत लौह, अलौह, औद्योगिक खनिज, कोयला, लिग्नाइट आदि हैं, के विदोहन और उपयोग में अनुसंधान/डिजाइन/विकास/योजना निर्माण/ परियोजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन का 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) भू-विज्ञान/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री या खनन इंजीनियरी में मास्टर डिग्री।

(ii) खनिज और खनिजों पर आधारित उद्योगों में यथा प्रयुक्त विदोहन, संरक्षण, प्रौद्योगिकी, व्यापार और अवसंरचना विकास से संबंधित प्रकाशित रचना' यदि कोई हो।

(iii) साध्यता संबंधी अध्ययनों या विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के प्रौद्योगिकी-आर्थिक मूल्यांकन में 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

2. उप सलाहकार (उपभोक्ता उद्योग)

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/कारबार प्रशासन अथवा प्रबंधन में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में डिग्री या इंजीनियरिंग संस्थान के भाग 'ए' और 'बी' के एसोसिएट सदस्य (एएमआईई)।

(ii) उपभोक्ता उद्योग के अनुसंधान/योजना निर्माण/डिजाइन और विकास तथा उत्पादन में 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मास्टर डिग्री।

(ii) साध्यता संबंधी अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने में 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

3. उप सलाहकार (शिक्षा)

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/वाणिज्य/शिक्षा में मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग संस्थान के भाग 'ए' और 'बी' का एसोसिएट सदस्य (एएमआईई)।

(ii) शिक्षा के क्षेत्र अनुसंधान/विकास/योजना निर्माण/प्रशासन का अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) कला/विज्ञान/वाणिज्य/शिक्षा के सुसंगत क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री या इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।

(ii) शैक्षिक विकास के क्षेत्र प्रकाशित रचना, यदि कोई हो और विकास के अन्य क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, समाज कल्याण, उद्योग, कृषि आदि से उसके अंतर्संबंध का ज्ञान।

(iii) शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने या परियोजना रिर्पोटों/योजना दस्तावेजों के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन में 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

4. <u>उप सलाहकार (बहुस्तरीय योजना)</u>

अनिवार्य:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल या अर्थशास्त्र या सामाजिक शास्त्र या सांख्यिकी या संक्रिया अनुसंधान में मास्टर डिग्री

(ii) बहुस्तरीय या प्रादेशिक या क्षेत्र योजना में, जिसके अंतर्गत प्रादेशिक और स्थानीय स्तरों पर योजनाओं का बनाना या अनुसंधान और अंकन या निष्पादन के साथ की योजनाओं का आलोजनात्मक परीक्षण सम्मिलित है, 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय में डॉक्टरेट डिग्री।

(ii) बहुस्तरीय या प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय योजना निर्माण के क्षेत्र में प्रकाशित रचना, यदि कोई हो।

(iii) बहुस्तरीय अथवा प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में नीति विश्लेषक तथा मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने में 10 वर्ष में से कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।

5. <u>उप सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन)</u>

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान/अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी/प्रचालन अनुसंधान/कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में डिग्री या इंजीनियरिंग संस्थान के भाग 'ए' और 'बी' के एसोसिएट सदस्य (एएमआईई)।

(ii) अनुसंधान/डिजाइन/विकास या योजना परियोजना/कार्यक्रम बनाने या उनका मूल्यांकन/अंकन या परियोजनाओं के विकल्प पर सलाह का 10 वर्ष का अनुभव।

या

आर्थिक अंकन, परियोजना मूल्यांकन आर्थिक नीति निर्धारण और सहकारी योजना में 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) सुसंगत कला/विज्ञान विषय में डॉक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री।

(ii) अधिक निवेश वाली परियोजनाओं की समीक्षा/अंकन/विकल्प में 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

या

(iii) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर की एजेंसी या परियोजना प्रबंध के क्षेत्र में परियोजना अंकन कार्य का 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

6. <u>उप सलाहकार (ऐच्छिक प्रक्रिया सेल)</u>

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य/अर्थशास्त्र/मानव विज्ञान/समाज शास्त्र/सामाजिक विका/गैर सरकारी संगठनों के प्रबंधन में मास्टर डिग्री।

(ii) गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों से संबंधित सामाजिक विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों में अनुसंधान/मूल्यांकन विकास/योजना निर्माण/निष्पादन में 10 वर्ष का अनुभव जिनमें से कम से कम तीन वर्ष का फील्ड अनुभव विषय क्षेत्र में हो।

वांछनीय:

(i) एक्सल और पावर प्वाइंट सहित कम्प्यूटर एप्लीकेशन, एम एस ऑफिस का प्रशिक्षण, यदि कोई हो।

(ii) सुसंगत क्षेत्र में प्रकाशित रचना, यदि कोई हो।

7. <u>उप सलाहकार (पशुपालन)</u>

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान/पशुपालन/डेयरी उद्योग में मास्टर डिग्री।

(ii) पशुधन विकास/उत्पादन/प्रबंधन, पशुनस्ल, पशु आनुवांशिकी, डेयरी उद्योग, डेयरी विकास के क्षेत्र में अनुसंधान/विकास/योजना निर्माण/निष्पादन का 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) सुसंगत क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री।

(ii) ऊपर उपदर्शित अनिवार्य खंड (ii) में के क्षेत्रों में विस्तार कार्य का 10 वर्ष में से कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।

(iii) परियोजना रिर्पोटों को तैयार करने या साध्यता अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिर्पोटों के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन में 10 वर्ष में से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।

8. <u>उप सलाहकार (रसायन)</u>

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शुद्ध/अनुप्रयुक्त/औद्योगिक रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री अथवा रसायन इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में डिग्री या रसायन इंजीनियरी में इंजीनियरिंग संस्थान के भाग 'ए' और 'बी' में खनन इंजीनियरी के एसोसिएट सदस्य (एएमआईई)।

(ii) रसायन शास्त्र/रसायन इंजीनियरी में अनुसंधान/डिजाइन/विकास अथवा रसायन उद्योग में योजना निर्माण/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन का 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) रसायन शास्त्र में डाक्टरेट डिग्री या रसायन इंजीनियरी में मास्टर डिग्री।

(ii) औद्योगिक लाइसेंसिंग, विदेशी निवेश, सहयोग के सिद्धांत और/अथवा नीतियों का प्रशिक्षण, यदि कोई हो।

(iii) साध्यता अध्ययनों अथवा विस्तृत परियोजना को तैयार करने और/अथवा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करने में 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

9. उपसलाहकार (वैज्ञानिक अनुसंधान)

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी संस्थान का एसोसिएट सदस्य (एएमआईई)

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान/डिजाइन/विकास या योजना निर्माण/अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं के निष्पादन में 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बहुआयामी क्षेत्रों या सीमांत क्षेत्रों/नये प्रकट हुए क्षेत्रों में अनुसंधान के संचालन/आयोजन/मार्ग दर्शन/योजना निर्माण में 10 वर्ष में से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।

(iii) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रसान में 10 वर्ष में से कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।

10. उप सलाहकार (जल आपूर्ति)

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग संस्थान के भाग 'ए' और 'बी' का एसोसिएट सदस्य (एएमआईई)।

(ii) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और जल प्रदाय स्कीमों के किसी क्षेत्र में अनुसंधान/डिजाइन/विकास/योजना निर्माण/निष्पादन का 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) सुसंगत क्षेत्र में मास्टर डिग्री।

(ii) शहरी और ग्रामीण जल प्रदाय स्कीम की समस्याओं के क्षेत्र में प्रकाशित रचना, यदि कोई हो और विकास के अन्य सेक्टरों के साथ उसका अंतर्संबंध।

(iii) साध्यता अध्यन/विस्तृत परियोजना रिर्पोटों को तैयार करने/तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पर 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

11. उप सलाहकार (मानीटरिंग-पावर)

अनिवार्यः

(i) विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री या विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग संस्थान के भाग 'ए' और 'बी' के एसोसिएट सदस्य (ए एम आई ई) या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गणित कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री।

(ii) बिजली उत्पादन और सहबद्ध परियोजनाओं के क्षेत्र में अनुसंधान/डिजाइन/विकास/योजना निर्माण/निष्पादन में 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गणित/कंप्यूटर विज्ञान के सुसंगत विज्ञान विषय में डाक्टरेट डिग्री।

(ii) बिजली परियोजनाओं/विद्युत उत्पादन/उपभोग में प्रगति आंकने और या मानीटरी करने में 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

(iii) आंकड़ों पर आधारित सूचना पद्धति को मानीटर करने और डिजाइन, विकास और प्रचालन में कंप्यूटर के प्रयोग का प्रशिक्षण, यदि कोई हो।

12. <u>उप सलाहकार (विध्युत)</u>

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री या विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग संस्थान के भाग 'क' और 'ख' का एसोसिएट सदस्य (एएमआईई) या भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गणित में मास्टर डिग्री।

(ii) बिजली उत्पादन/पारेषण, उपयोगिता, विकास के क्षेत्र में अनुसंधान/विकास/योजना/निर्माण/निष्पादन में 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गणित में डाक्टरेट डिग्री।

(ii) बिजली उत्पादन के क्षेत्र में दीर्घकालीन भौतिक और वित्तीय योजना निर्माण समस्याओं को निपटाने का प्रशिक्षण, यदि कोई हो।

(iii) विद्युत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मांग के पूर्वानुमान, वितरण और कीमत निर्धारण से संबंधित प्रकाशित रचना, यदि कोई हो।

(iv) प्रौद्योगिक आर्थिक मूल्यांकन, परियोजना के अंकन/कार्यक्रमों/विस्तृत परियोजना रिर्पोटों में 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

13. <u>उप-सलाहकार (ऊर्जा सर्वेक्षण)</u>

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री या भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गणित में मास्टर डिग्री या यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरिंग कंप्यूटर/विज्ञान में इंजीनियरिंग संस्थान के भाग 'ए' और 'बी' में खनन इंजीनियरी के एसोसिएट सदस्य (ए एम आई ई)।

(ii) ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान/डिजाइन/विकास/सर्वेक्षण योजना का 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गणित में डाक्टरेट डिग्री।

(ii) ऊर्जा के क्षेत्र में दीर्घकालिक भौतिक और वित्तीय योजना पर प्रकाशित रचना, यदि कोई हो।

(iii) प्रौद्योगिक-आर्थिक मूल्यांकन करने या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, साध्यता संबंधी अध्ययनों में 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

14. उप सलाहकार (मानीटरी कृषि)

अनिवार्यः

(i) कृषि में मास्टर डिग्री।

(ii) कृषि के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत बड़े आकार की परियोजनाएं/कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, उनका मूल्यांकन और मोनीटरी करना भी है, अनुसंधान/विकास/योजना निर्माण/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन का 10 वर्ष का अनुभव।

(iii) कृषि क्षेत्र में मानीटर और मूल्यांकन में नवीनतम प्रबंधन/तकनीक का प्रशिक्षण, यदि कोई हो।

वांछनीयः

(i) कृषि में डॉक्टरेट डिग्री।

(ii) तंत्र विश्लेषण और/या कम्पयूटरीकरण सूचना पद्धति डिजाइन करने का 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

15. उप-सलाहकार (सामाजिक विकास) - कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र/मानव विज्ञान/ सामाजिक मनोविज्ञान/सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित सामाजिक कल्याण परियोजनाओं/कार्यक्रमों के अनुसंधान/मूल्यांकन/विकास/योजना निर्माण/निष्पादन में 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) सुसंगत क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री।

(ii) सामाजिक कल्याण परियोजनाओं/कार्यक्रमों और विस्तार पद्धतियों के संचालन/आयोजन/मार्गदर्शन योजना निर्माण/मूल्यांकन/अंकन में 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

(iii) परियोजना रिपोर्टों, अनुसंधान रिपोर्टों को लिखने/तैयार करने का 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

16. उप-सलाहकार (सिंचाई)

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनिरिंग में डिग्री या सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग संस्थान के भाग 'ए' और 'बी' के एसोसिएट सदस्य (ए एम आई ई)।

(ii) सिंचाई क्षेत्र में इसके सभी विभिन्न पहलुओं जैसे नदी घाटी परियोजनाओं, जल संसाधन विकास, सिंचित क्षेत्र विकास, जल निकास, बाढ़ नियंत्रण में अनुसंधान/डिजाइन/विकास/योजना निर्माण/निष्पादन/प्रशासन का 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) सिविल/हाइड्रोलिक/जल संसाधन इंजीनियरी/जल विज्ञान में मास्टर डिग्री।

(ii) प्रकाशनों द्वारा साक्ष्यित आलोचनात्मक समीक्षाएं, अंकन रिपोर्टों, अनुसंधान रिपोर्टों इत्यादि का तैयार करने में 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

17. <u>उप सलाहकार (मानीटरिंग-कोयला/पेट्रोलियम)</u> .

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान/विज्ञान/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान/भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गणित/कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या खनन इंजीनियरिंग/रसायन/यांत्रिक इंजीनियरिंग/रसायन प्रौद्योगिकी/पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी/तेल प्रौद्योगिकी में डिग्री या खनन इंजीनियरिंग/रसायन इंजीनियरिंग/यांत्रिक इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग संस्थान के भाग 'ए' और 'बी' के एसोसिएट सदस्य (ए एम आई ई)।

(ii) जीवाश्म ईंधन और जीवाश्म ईंधन पर आधारित उद्योगों के खोज/विकास/विदोहन/ संरक्षण में अनुसंधान/डिजाइन/विकास/योजना निर्माण/निष्पादन का 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान/विज्ञान/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान/भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गणित में डाक्टरेट डिग्री या खनन इंजीनियरिंग/यांत्रिक इंजीनियरिंग/रसायन प्रौद्योगिकी/तेल प्रौद्योगिकी/पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री

(ii) जीवाश्म ईंधन की परियोजनाओं/उत्पादन/संरक्षण/उपभोग में प्रगति आंकने और/या मानीटरी करने में 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

(iii) आंकड़ों पर आधारित सूचना पद्धति को मानीटर करने और डिजाइन/विकास और प्रचालन में कंप्यूटर के प्रयोग का प्रशिक्षण, यदि कोई हो।

18. <u>उप-सलाहकार (सामाजिक योजना)</u>

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य/समाज शास्त्र/सामाजिक मानव विज्ञान/अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री।

(ii) समाज कल्याण के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों का कल्याण है, अनुसंधान/अंकन/योजना निर्माण/विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन का 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) संबंधित क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री।

(ii) योजना संकल्पनाओं पर प्रकाशित रचना, यदि कोई हो।

(iii) आर्थिक और सामाजिक विकास के दीर्घकालिक योजना निर्माण में 10 वर्ष में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

9. <u>प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि</u> :

प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अनुबंध की अवधि है, साधारणतयः

पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति तथा अल्पावधि-अनुबंध सहित में आने वालों की निबंधन एवं शर्तें, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009- स्था. (वेतन II) दिनांक 17 जून 2010 में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी ।

10. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों से निवेदन है कि वे इस रिक्ति सर्कुलर को अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

11. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र (पाठ्यक्रम ब्यौरे) संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों) में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी को भेजें । आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेषित करना अपेक्षित है :-

(i) संवर्ग अनुमति / सुस्पष्ट अनापत्ति ;

(ii) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच वर्षो की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों;

(iii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप**) में ।

(iv) सतर्कता प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित हे और न ही अपेक्षित है, तथा

(v) विगत 10 वर्षो के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े/ छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो / दंड़ नहीं प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**)।

12. केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन पत्र अग्रेषित किए जाएं जिनके विरूद्ध सर्तकता का कोई मामला न हो । इस रिक्ति को शीघ्र ही रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जा रहा है। **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 60 दिन तक होगी।**

13. आवेदक यह सुनिश्चत करें कि उनका आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो और सभी प्रकार से पूर्ण हो । प्रपत्र में कोई भी स्थान रिक्त न हो । "लागू नहीं" अथवा "शून्य" सूचना का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो संपूर्ण हों और उचित माध्यम से अंतिम तिथि या उससे पहले इस कार्यालय में प्राप्त हों ।

राजीव

(जी0 राजीव)
अवर सचिव , भारत सरकार
दूरभाष : 23096531

- 16 -

[अभ्यर्थी जो प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर आवेदन करता है , के आवेदन के साथ पृथक रूप से संलग्न करने हेतु आवश्यक विभिन्न प्रमाण पत्रों का प्रारूप]

सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र

डा0 / श्री / श्रीमति / सुश्री ---,

----------------------------जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर **संयुक्त सलाहकार** (---------------------------------) के पद के लिए आवेदन किया है, यह प्रमाणित किया जाता हे कि उनकी सत्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं है ।

(उपसचिव या ऊपर के पद के अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित)
नाम एवं कार्यालय मोहर ;
दिनांक;.......................

सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0 / श्री / श्रीमति / सुश्री ---
------, ---जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर **संयुक्त सलाहकार** (---) के पद के लिए आवेदन किया है , के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला या अनुशासनात्मक कार्यवाई या आपराधिक कार्यवाई न तो चल रही है न विचारित है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम एवं कार्यालय मोहर;
दिनांक ;..................

कोई दण्ड नहीं प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0 /श्री / श्रीमति / सुश्री ------------------------------------,-----------------------------
-----------------------------जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर संयुक्त सलाहकार (-----------------) के पद के लिए आवेदन किया है, पर पिछले दस वर्षों के दौरान कोइ लघु / मुख्य दण्ड नहीं लगाया गया है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम एवं कार्यालय मोहर;
दिनांक ;...................

*****